2019/00040

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री महेन्द्र सिंह गोयल पुत्र स्व.श्री सुन्दर सिंह जाति राजपुत निवासी नयावास, सिरोही जिला सिरोही		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 3 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.02.2019	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 7.1.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि माह अगस्त 2018 व पहले किन किन लोगो ने प्राकृतिक आपदा में हुएं अकाल की क्षति हुई उसके लिये सहायता मांगी गई उसकी सूची सिरोही जिले की दिलवानें से संबंधित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 7.1.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि माह अगस्त 2018 व पहले किन किन लोगो ने प्राकृतिक आपदा में हुएं अकाल की क्षति हुई उसके लिये सहायता मांगी गई उसकी सूची सिरोही जिले की दिलवानें से संबंधित अपीलांट को चाही गई समस्त जिले की सूचना तहसील कार्यालय में उपलब्ध होना संभव नही है अतः तहसील क्षेत्र सिरोही से संबंधित सूचना में लगने वाला खर्चा अपीलांट तहसील कार्यालय में जमा करावें एवं अन्य तहसीलों से संबंधित सूचना के लिए अलग से संबंधित तहसीलदार को आवेदन करें। तहसील क्षेत्र सिरोही से संबंधित सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। अतः अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार शुल्क जमा करानें पर उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अनुपमा जोरवाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner